मूल हिन्दी में

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1901
19.12.2022 को उत्तर के लिए

जनरेटर पर प्रतिबंध

1901. श्रीमती रंजनबेन भट्ट :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिल्ली सहित देश के प्रदूषित शहरों में जनरेटर के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में सरकार द्वारा कोई कदम उठाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क), (ख) और (ग) : सरकार के पास देश के प्रदूषित शहरों में जनरेटर के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। हालांकि दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रतिकूल वायु गुणवत्ता के मद्देनजर और क्षेत्र में डीजी सेटों के कारण होने वाले वायु प्रदूषण को रोकने, नियंत्रित करने और कम करने के लिए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अर्थात् हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली में आपातकालीन प्रयोजनों को छोड़कर डीजी सेटों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए विनियम/निदेश जारी किए हैं।

जनरेटर से होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए सरकार ने निम्नलिखित अधिसूचनाएं जारी की हैं:

1. 800 किलोवाट ग्रास मैकेनिकल पावर्ड जेनसेट इंजन के लिए उत्सर्जन सीमा।
2. एलपीजी और सीएनजी जेनरेटर सेटों से होने वाले उत्सर्जन और शोर की सीमा।
3. पेट्रोल और केरोसीन द्वारा चलने वाले जनरेटर सेटों के लिए उत्सर्जन और शोर मानक।
4. डीजल से चलने वाले जनरेटर सेटों के लिए शोर की सीमा।

इसके अलावा, जनरेटर के संदर्भ में शोर की सीमा, उत्सर्जन सीमा, उत्सर्जन मापों, रेट्रोफिट उत्सर्जन नियंत्रण के उत्सर्जन अनुपालन परीक्षण आदि के अनुपालन के लिए प्रणाली प्रक्रिया के संबंध में विभिन्न दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

*****